भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3731

24.03.2025 को उत्तर के लिए

समुद्री अपरदन को कम करने के उपाय

3731. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में अपरदन नियंत्रण और तटीय संरक्षण हेतु कितनी निधि आवंटित की गई है और अपरदन संबंधी गंभीर खतरों का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए कोई अतिरिक्त सहायता क्या है;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक के उडुपी जिले के बेंदूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आजीविका और अवसंरचना पर अपरदन के पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए और अधिक तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) इन कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा क्या है और क्या कमजोर तटीय आबादी के जीवन, घरों और आजीविका की सुरक्षा हेतु कोई अतिरिक्त कदम उठाने की योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) : तटीय संरक्षण स्कीम में बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। एफएमबीएपी, जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की एक स्कीम है जो विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय : राज्य 90:10 और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सीडब्ल्यूसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तटीय कटाव को कम करने हेतु एफएमबीएपी के तहत वित्त पोषण के लिए कर्नाटक राज्य से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक समुद्री बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत पांच वित्तीय वर्षों में कटाव नियंत्रण और तटीय संरक्षण के लिए कर्नाटक सरकार से निधि (लाखों में) आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	धनराशि (लाखों में
2019-20	2940
2020-22	3500
2021-22	3500
2022-23	2262
2023-24	2000

इसके अलावा, गंभीर रूप से कटाव जोखिमों का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में, कर्नाटक सरकार ने उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में कटाव-प्रवण क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि से 34 आपातकालीन तटीय कटाव रोकथाम कार्यों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

(ख) तथा (ग) 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2021-26 के लिए कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा उपशमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत इसी अवधि के लिए नदी और तटीय कटाव को रोकने के लिए उपशमन उपायों हेतु 1500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोनों निधियों (एनडीआरएफ और एनडीएमएफ) के लिए, राज्य सरकारों को लागत-साझाकरण के आधार पर संसाधन प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तटीय जोखिम उपशमन पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (सीओडीआरआर) नामक एक मंच स्थापित किया है। इस समिति में 9 तटीय राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में तटीय जोखिम से संबंधित सभी संबंद्ध हितधारक शामिल है, ताकि तटीय क्षेत्रों की समस्याओं और जोखिमों तथा संभावित शमन उपायों के साथ साथ एकीकृत तटीय जोखिम प्रबंधन तथा अनुकूलन योजना (आईसीआरएमआरपी) प्रस्ताव तथा राज्य स्तर पर ऐसे किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

कर्नाटक की तटरेखा प्रबंधन योजना तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। इस योजना में उडुपी जिले के बिंदूर विधानसभा क्षेत्र सहित कर्नाटक के तटीय जिलों के सभी संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के लिए अनुशंसाऐं की गई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) का एक संगठन राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में संवेदनशील तटीय आबादी के जीवन, घरों और आजीविका की सुरक्षा के लिए उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में से प्रत्येक को 450.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की है।

*****